

संपादकीय

दो देशों के चुनाव

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में चार राष्ट्रपति चुनावों को देखा है और मतदान किया है, साथ ही साथ भारतीय संसदीय चुनावों पर प्रचुर मात्रा में रिपोर्टिंग की है, मैं भारत में चल रही चुनावी प्रक्रिया और अमेरिका में आसन्न चुनावी प्रक्रिया के बीच तुलना करने से खुद को नहीं रोक सकता। दोनों राष्ट्र आर्थिक आकार, राजनीतिक और सामाजिक विकास, वैश्विक प्रभुत्व, जातीय संरचना और यहां तक कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भिन्न हैं, लेकिन भारत और अमेरिका क्रमशः ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अमेरिका में, चुनाव अपेक्षाकृत भारत की तरह रंगीन चुनावी प्रचार-प्रसार से रहित होते हैं, हालाँकि बड़ी सार्वजनिक रैलियाँ आम हैं। लेकिन शहरी भारत के कई हिस्सों में, रंगीन अभियान गायब हो गए हैं उनकी जगह सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया मैसेजिंग ने ले ली है। अमेरिका में, प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग होता है, जिसके अपने शासकीय कानून होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर हारने वाले पक्ष द्वारा बेर्इमानी के आरोप लगते हैं। 2000 का कख्यात अमेरिकी चुनाव, जिसका फैसला वास्तव में

— १८ —

ਲਹੁ-ਰਾਹਤ ਚੁਨਾਵਾ ਸਿਨਰਾਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਕਿ ਲਈ ਕੁਰਾ ਰਖਕਰ

आदत्य
२०२१ के

2024 के लाक्समा चुनाव के लिए पूर्वानुमान, वास्तव में घोषित होने तक, यह था कि यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 17वीं लोकसभा के समापन सत्र में अपने आखिरी भाषण में, प्रधान मंत्री ने भविष्यवाणी की कि उनका पक्ष 370 सीटें जीतेगा। और सहयोगियों के साथ कुल 543 सीटों में से 400 सीटें जीतेगा। जाहिर है, भाजपा की मशीनरी और मोदी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों ने 2019 में समर्थन की लहर का अनुमान लगाया था। 19 अप्रैल को पहले चरण में ही यह स्पष्ट हो गया कि कोई लहर नहीं है। सात चरण के विशाल चुनाव के दूसरे चरण और 190 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों के बाद, मतदान में गिरावट स्पष्ट रूप से मतदाताओं के मोहभंग का संकेत देती है। परंपरागत ज्ञान के अनुसार, यह सत्तारूढ़ दल के लिए बुरी खबर है। यह सामूहिक विपक्ष के लिए भी बुरी खबर है जो कुछ राज्यों में गठबंधन और सीटों के समायोजन

में अलग से। जब मतदाता चिलचिलाती गर्मी में भी ईवीएम बटन दबाने के लिए कतार में लगाने में परेशानी महसूस नहीं करते हैं, तो यह राजनीतिक प्रतिष्ठान से कम उम्मीदों के साथ—साथ सत्तारुद्धरण के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति असंतोष को दर्शाता है। चुनाव आयोग के आकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण में कम मतदान, 66.7 प्रतिशत, जो कि केवल तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट का संकेत देता है, इसका मतलब है कि इसी तरह, संगठित भाजपा विरोधी विपक्ष के लिए कोई बड़ा उत्साह नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन या तो 10 साल की बेरोजगारी वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति और अधिकांश भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विहार, केरल और पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण रूप से कम मतदान, यह दर्शाता है कि मतदाता महसूस कर रहे हैं निराशा। अनुमान है कि

इस पर कहाना म आर भा परते
जुड़ गई हैं, सत्ता में आने पर कांग्रेस-
द्वारा धन कैसे छीन लिया जाएगा।
इस पर अनाप-शनाप बात करते
हुए। श्री मोदी और भाजपा अनजाने
में यह खुलासा कर रहे हैं कि दे-
किसे निराश मतदाता मानते हैं।

5 किलोग्राम

मुफ्त खाद्यान्न पर गुजारा करने
वाले 80 करोड़ भारतीयों के लिए
कोई अधिशेष नहीं है और कोई
संपत्ति नहीं है जिस पर संभवत
विरासत कर लगाया जा सके। सोना
और मंगलसूत्र उपभोग के स्तर का
संकेत देते हैं जो ऐसे मतदाताओं
को मध्यम वर्ग की व्यापक श्रेणी में
डाल देगा। न तो पंडित और न ही
कोई सर्वेक्षणकर्ता उन कारणों को
बता सकता है कि मतदाताओं ने
चुनाव न करने का विकल्प क्यों
चुना है। हालाँकि, भाजपा नेतृत्व
के भाषणों में बदलाव उन मतदाताओं
की ओर इशारा करते हैं जो पार्टी
के लिए मुख्य समर्थन आधार रखते
हैं व्यापारी, वेतनभोगी मध्यम वर्ग
जिनके पास खोने के लिए संपत्ति
और आय और संपत्ति है, ठीक

उसा श्रेणा के मतदाता जो सुदूर भविष्य में ही सही, लेकिन 2047 तक विकसित भारत की चका चौंटा से विद्युतीकृत हो जाना चाहिए था। कम मतदान प्रतिशत की निरंतर प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि हिंदुत्व का जादू उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कुछ लोग महसूस करते हैं य वास्तव में, इसकी व्याख्या भारत की राजनीति पर एक दुर्भावना के रूप में की जा सकती है जो मतदाताओं को दूर कर रही है। चुनाव से पहले सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वेक्षण से पता चला कि 79 प्रतिशत भारतीय हिंदू राष्ट्र के सपने से मंत्रमुग्ध नहीं थे इसके विपरीत 79 प्रतिशत का मानना था कि देश सभी धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए है। मोदी लहर की अनुपस्थिति और मतदान प्रतिशत में गिरावट स्वचालित रूप से विपक्ष—समर्थक या कांग्रेस—समर्थक लहर की ओर इशारा नहीं करती है। कोई लहर ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने और भाजपा को हराने के अपने

गहराते जल-संकट से जीवन एवं कृषि खतरे में

लालत पात्री-

मानवय गतिवाद्या आरक्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई वित्ताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है।

इशारा करता है। जिसके मूल में अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव एवं वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज भारत गंभीर जल-संकट के साए में खड़ा है। अनियोजित औद्योगिकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्ट्रान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है। भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता

कइ क्षेत्र म सूख जस आर असुराक्षत हालात पैदा हो गये हैं। जिससे विभिन्न फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी वारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसून की स्थिति पर कृषि का भविष्य पूर्ण तरह निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पार्नी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बैंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्गी की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसन्न संकट से निपटने के लिये जल संरक्षण के प्रयास घरों से लेकर तमाम कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज

आर वितरण दक्षता में सुधार के लिये पानी के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रणालियों में बड़े निवेश की तात्कालिक जरूरत भी है। इसके साथ ही जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को प्रकृति के इस बहुमूल्य संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा हेतु प्रेरित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत है। पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 धरता पर जावन के आस्तत्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और भारती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैशिक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये हैं, उन्हीं प्रयत्नों को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं जल-संरक्षण क्रांति को घटित करने की अपेक्षा है। सदियों से निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, अब उन पर जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव पड़ने लगा है। जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है।

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का स्वागत योग्य फैसला

ललित

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की अंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह सम्म्य नहीं होगा। हिंदू विवाह स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगमी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक -संस्था को मजबूती मिलेगी। हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी 'गाने और डांस', 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिप्टस की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कर्मशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज—व्यवस्था की एक बनियादी इकाई एवं मजबूत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात् शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधिनियम के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।

कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया है कि हिन्दू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी है। विवाद की रिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों और उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंधलाते मूल्यों को नियंत्रित करने का काम करेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमर्ति बी नागरक्ता ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैषिकल सही कहा है कि हिन्दू एक संस्कार है, जिसे भारतीय में एक महान मूल्य की संरक्षण रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सामाजिक जैसी रीतियों के बिना हुए को हिन्दू विवाह अधिनियम वर्ष 7 के अनुसार हिन्दू विवाह नहीं जाएगा। इस बजह से कोर्ट पुरुषों और महिलाओं से आग्रह है कि वो विवाह की संस्था करने से पहले इसके बारे में से सोचें और भारतीय सभ्यता का संस्था कितनी पवित्र पर विचार करें। प्रश्न है कि विवाह को लेकर कोर्ट को जाने वाले एवं हिन्दू संस्कारों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? विवाह से जुड़े संस्कारों एवं परमाणु-रीति-विधानों को लेकर अनेक

में विवाह माजा के हैरे। फेरों विवाह धारा माना युवा क्या प्रवेश हराई न में इस हिन्दू रुक्मी बूती हिन्दू एरिक असले कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनेष्यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जलारी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्षको यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के त्रसाणे-दिखाते से बचते हए विवाह

के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषतः हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। हिंदू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि + वाह, अतः इसका शास्त्रिक अर्थ है – विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और धूर्घ तारा का साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक सम्बंध से अधिक आत्मिक सम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि उसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और सोसा निर्धारित किया है।

